

समय पर हो पेंशन धारियों का भुगतान, इसलिए आयुक्त सुंदरानी ने बुलाई समीक्षा बैठक भिलाईनगर/नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एस.के. सुंदरानी ने हर महीने के प्रथम सप्ताह के भीतर सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों को पेंशन भुगतान करने के लिए बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए हैं! श्री सुंदरानी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित सभी अधिकारी/कर्मचारियों एवं जोन के सुपरवाइजर की समीक्षा बैठक ली जिसमें पेंशन धारियों को हर माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं! आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि जोन स्तर पर पेंशन के जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उनकी स्वीकृति जोन स्तर पर ही हो जाना चाहिए तथा जो बी.पी.एल .की श्रेणी में आते हैं उन्हें उनके पात्रता के अनुसार पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए! जिन बैंकों में पेंशन धारियों के खाता एवं आधार लिंक नहीं हुए हैं उन्हें भी पत्र जारी कर बैंक खाता एवं आधार कार्ड की छाया प्रति को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए गए हैं! बता दें कि जोन के सुपरवाइजर को पेंशन धारियों की सूची उपलब्ध कराई गई है वह खाता धारियों से संपर्क कर पेंशन भुगतान की प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगे भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा है ! इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा,विधवा,निशक्त पेंशन धारियों के लिए एन.एस.ए.पी.(नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम) के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जाता है परंतु हितग्राहियों द्वारा दिए गए जानकारी में त्रुटि आदि होने के कारण एन.एस.ए.पी. को भुगतान करने में अनावश्यक परेशानी होती है ऐसा मामला आने पर एन.एस.ए.पी. द्वारा निगम के डी.बी. टी.(डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर) के माध्यम से पेंशन राशि भुगतान का कार्य करता है! राज्य शासन द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं सामाजिक सुरक्षा पेंशन , सुखद सहारा पेंशन एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजना के मार्च माह 2019 का भुगतान अंतिम बार पोस्ट ऑफिस एवं नागरिक बैंक के हितग्राहियों के लिए किया गया था माह अप्रैल 2019 एवं इससे आगे का पेंशन एन.एस.ए.पी. पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से किया जाना है इसलिए जो भी हितग्राही अभी तक राष्ट्रीय कृत बैंक का खाता का विवरण निगम कार्यालय में जमा नहीं किए हैं वे खाता खुलवा कर संबंधित जोन के कार्यालयों में शीघ्र जमा करावे एवं असुविधा से बचे!

”जल है तो कल है” ”जल ही जीवन है”

